पुलिस को विटनेस स्टेटमैंन्ट (witness statement) देना – इसके बाद क्या होता है?

आगे आने के लिए धन्यवाद। आप की स्हायता हमारे लिये महत्व की है।

आपराधिक न्याय प्रणाली गवाहो के बिना कार्य नही कर सकती है। ये अपराधियो को न्याय दिलाने में सबसे महत्व्पूर्ण मुद्दा (**element**) होते है।

अब आपने ब्यान बना लिया है, हो सकता है कि आप को कोर्ट में गवाही (या सबूत) देने के लिऐ कहा जाऐ।

इस के अतिरिक्त ऐसा कुछ है जो मै कर सकता हूं?

हां, ये आवश्यक है कि पुलिस को बताया जाऐ :

- अगर आपने अपने ब्यान से अतिरिक्त कुछ नही बताया है या फिर ये गल्त है।
- अगर आप का पता या फोन नंम्बर बदलता है (हर दिन मुकदमें इस कारण नहीं चल पाते है क्यो कि गवाहों से   समय पर सम्पर्क नही हो ओ पाता है; तथा
- वे तारीखें जब आप अदालत नहीं जा सकते हैं। जैसे ही ये बदले कृपया आप इस को तुरंन्त सूचित करें। जब मुकदमे की तारीख़ का निर्णय होगा तब इस की आवश्यकता होगी।

क्या संदिग्ध (दी डिफेन्डैन्ट) या बचाव पक्ष के वकील को मेरा पता दिया जाऐगा?

नहीं, आप का पता विटनेस सटेटमैंन्ट (गवाह के बयान) के पीछे रिकोर्ड (लिखा) होता है तथा प्रतिवादी या उसका या उसकी वकील को सिर्फ बयान के सामने के भाग की कापी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, गवाहो को आमतौर से अदालत में अपना पता सब के सामने बताने के लिऐ नही कहा जाता है। प्रतिवादी या उसका या उसकी वकीलों को आमतौर पर गवाहों के नाम बता दिये जाते हैं।

मेरे बयानो का क्या होगा?

अगर संदिग्ध (suspect) इस धटना को लेकर आरोपित है तो, आपके बयान और सभी सबूत क्रॉऊन प्रासीक्यूशन सर्विस (CPS) को दे दिये जाऐगें। ईंगलैन्ङ तथा वेल्स में जिन व्यक्तियों को हिंसक अपराधों का द्दोषी पाया जाता है उन पर अभीयोग चलाना "सी पी ऐस" (CPS) की जिम्मेदारी है। हांलाकी ये साथ साथ काम करते हैं लेकिन पुलिस तथा सी पी ऐस (CPS) अलग अलग संस्थाऐं है।

मेरा बयान कौन पढेगा?

वे सभी जो कि केस के साथ जुङे है वे सब आप के बयानों को पढेगें (उदाहरण के लिये पुलिस,सी पी ऐस (CPS),डिफेन्स तथा मैजिसट्रेट या जज)।

अगर कोई मुझे धमकाता या डराता है तब क्या होगा?

एक गवाहा या एसा कोई भी जो की पुलिस की जाँच मे सहायता कर रहा हो तो उस को धमकाना एक दणड्य अपराध है। अगर आप को मुकदमे के वक्त या बाद में किसी भी प्रकार से पीङित या धमकाया जा रहा हो तो आप को चाहिये कि आप इस की सूचना तुरंन्त पुलिस को दें।

क्या मुझे बताया जाऐगा कि केस मे क्या चल रहा है?

पुलिस तथा सी पी ऐस (CPS) अपने काम करने के तरीके मे सुधार ला रही है जिससे कि पीड़ित तथा गवाह दोनो को लगातार पता चल सके कि उनके केस में क्या चल रहा है, लेकिन यह कर पाना हर केस मे संभ्भव नही हो पाता है। याद रखिये, अगर आप को कोई सवाल या चिन्ता है तो आप पुलिस से कभी भी संम्पर्क कर सकते है। ईस पुस्तिका के पेज 9 पर संम्पर्क विवर्ण (contact details) दिये गये है।

अगर ईस बात की जरूरत होगी की आप को अदालत जाना है तो आप को संम्पर्क किया जाऐगा (क्यों की केस की तैयारी में समय चाहिये ईसलिये आप के बयान देने के बाद भी कुछ समय लग सकता है)।

अपराधो से पीड़ितो को आमतौर पर बताया जाता है:

- यदी संदिग्घ (suspect) को दोषी पाया गया है;
- बेल (bail) के बारे में; और अदालत मे क्या होता है; तथा
- अगर किसी कारण से केस आगे ना बढ सका हो।

लेकिन गवाह (जो कि अपराध के शिकार नही है) हो सकता है कि उनको फिर से संम्पर्क ना किया जाऐ यदी:

- संदिग्घ (suspect) अपना अपराध मान लेता है और उसको चेतावनी दी जाती है या अदालत उसे दोषी मानती है;
- संदिग्घ को अधिक सबूत ना होने की वजह से गिरफतार ना किया जा सका हो; या
- किसी भी संदिग्घ को पहचाना ना जा सका हो।

क्या मुझे अदालत जाना होगा?

आप को अदालत तब ही जाना होगा जब की प्रतिवादी (**defendent**):

- आरोपो को नकारता है और अपने को कसूरवार नही मानता है; या
- कसूरवार अपराध तो मानता है पर अपराध के महत्वपूर्ण हिस्से को नकारता है जो कि हो सकता है कि उसको मिलने वाली सजा को प्रभावित करती है।

अगर आपसे अदालत जाने को कहा जाता है अभियुक्त तथा बचाव के वकील आप से सबूतो को लेकर सवाल-जवाब करेगें। आप को ईस बात की अनुमती होगी की आप पहले अपने बयानो को अपनी याद ताजा करने के लिये पढ सकें।

अगर आपने बयान दिया है और आप से कहा जाता है कि आप अदालत में जा कर सबूत पेश करें, तब आप को यह अवश्य ही करना चाहिये। अगर आपसे अदालत जाने को कहा जाता है, आप को वहा भेजा जाऐगा:

- ऐक लैटर (या ख़त) आप को यह बताऐगा की आपको कब और कहा जाना है; तथा
- व्याख्या करने वाली ऐक पुस्तिका।

अगर मै अदालत ना जाऊ तो क्या होगा?

अगर अदालत जाने को लेकर आप की कोई कढिनाई या चिन्ता हो, तो आप को चाहिये कि जिस व्यक्ति ने आप से अदालत जाने के लिये कहा है उस को इस के बारे में तुरन्त बता दें। अगर आप को अदालत जाना है और आप के ना जाने को लेकर अगर साफ कारण हो कि आप जान बूझ कर नही जाना चाहते हैं, तब अदालत आप के खिलाफ विटनेस (**witness**) समन जारी कर सकती है। अगर आप बिना किसी उचित कारण के, फिर भी अदालत नही जाते है तो हो सकता है कि अदालत आप को 'अदालत की अवहेलना के लिये' आप की गिरफतारी के लिये वारंट जारी कर दे।

केस की सुनवाई कहा पर होगी ?

ज्यादातर केसों की सुनवाई मजिस्ट्रेट या जिला जज के द्धारा मजिस्ट्रेट कोर्टस (अदालतों में) होती है। और भी अधिक गंभीर अपराधों के लिये जूरी ट्रायलस क्राउन क्रोर्ट में होते है।

कौन सहायता कर सकता है ?

हर अदालत में ऐक गोपनिय या गुप्त विटनेस सर्विस होती है, जो विकटिम सपोर्ट (सहायता) से चलाई जाती है, और आप उन से मुकदमे के पहले संमपर्क कर सकते है। विटनेस सर्विस के प्रशिक्षित (trained) स्वयंसेवक आप को प्रद्दान कर सकते है:

- इस बात की सूचना की अदालत में क्या होता है ;
- भावनात्मक स्हायता और अकेले मे बात करने के लिये किसी का होना;
- आप जब गवाही के लिये कोर्टरूम (courtroom) मे जाते है तो किसी का आप के साथ जाना; तथा
- मुकदमे से पहले कोर्ट के बीच मे एक बार जाना तथा, जहा तक संम्भव हो, कोर्टरूम को एक बार चारो तरफ से देखना, जिस से आपको यह पता रहे कि आप को क्या सोचना है।

द्दी विटनेस सर्विस (सेवाऐं) सबूतो की या कानूनी सलाह की चर्चा नही करती है।

अपनी स्थानिय विटनेस सर्विस (सेवाऐं) के बारे मे पता करनें के लिये, फोनबुक में मजिस्ट्रेट के नाम के नीचे कोर्ट या क्राउन कोर्ट को द्देखें। या, आप **0845 30 30 900** पर फोन करें है।

स्वयंसेवक तथा भयभीत गवाहो के सहारे के लिऐ अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है जब वे इस बात का सबूत देते है।अगर सी पी ऐस (CPS) के वकील समझते है कि गवाह, अतिरिक्त स्हायता के लिऐ योग्य है, जिसको 'स्पेशल मेसर' कहते है, इसके लिये उनको मजिस्ट्रेट या जज से पूछ कर अनुमती लेनी होती है कि क्या उन का प्रयोग किया जा सकता है। ढी विटनेस सर्विस स्वयंसेवक, पुलिस सी पी ऐस (CPS) आपको ये बताऐगें की किस प्रकार की सेवाऐं आप के लिये उपलब्ध है तथा पुलिस सी पी ऐस (CPS) आप से, आप की क्या आवशयकताऐं हो सकती है उनके बारे में विचार करने के लिये सक्षम होती है।

वह आफीसर (अधिकारी) जो आप के बयानों को देख रहे हो ंनिम्न विवर्णो को भरेंगें।

उस आफीसर (अधिकारी) का नाम जो आप के केस से जुडा हो या ईस बयान को ले रहा हो।

रैंक या स्तर

पुलिस नम्बर या स्टेशन

सम्पर्क का फोन नम्बर

सम्पर्क का ई-मेल (e-mail address) का पता

केस रैफरेन्स नम्बर

इन विवर्णो (details) को कही पर सुरक्षित रूर से रखें।

वह आफीसर (अधिकारी) जो आप के केस को देख रहा है वह सहायता दे सकता है पर वह हर समय हो सकता है कि तुरन्त उपलब्ध न हों। अगर आप के पास कोई सवाल या चिन्ता है तो, आप निम्न नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है।

हम आप की सहायता के लिये हर सम्भव प्रायास करेगें ।

क्या कही से मैं और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ?

आप को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (पुलिस, कोर्ट तथा सी पी एस (CPS) के बारे में आम जानकारी लेना चाहते है तो तथा गवाहा बनने के बारे में ओर अधिक जानकारी चाहते है तो इस वेबसाइट से लें **www.cjsonline.org/witness**. तथा अपराधो के शिकार के बारे में ओर अधिक जानकारी चाहते है तो इस वेबसाइट से लें (पर विसिट करें) **www.cjsonline.org/victims** ।

UK Online (यूके आनलाईन) मुफ्त या सस्ते मे पूरे यूके में इन्टरनेट पर जाने के लिये **6000** से भी ज्यादा केन्द्रों पर उपलब्ध कराती है। निकटतम केन्द्र के बारे मे जानकारी के लिये **0800 77 1234** पर फोन करें।

आप को यह पुस्तिका अरेबिक, ऊर्दू, केनटो, गुजराती, ग्रीक, टर्किस, पंजाबी, बंगाली, वेतनामीस तथा सोमाली में मिल सकती है। आप को यह पुस्तिका बडे अक्षरों में, ब्रेइली या ओडियो (सुनने वाला) टेप में भी मिल सकती है। विवर्ण के लिये अपने स्थानिय पोलिस आफिस से सम्पर्क करें।

Home Office

BUILDING A SAFE, JUST
AND TOLERANT SOCIETY

Hindi

होम आफिस कम्युनिकेशन डायरैक्टरेट द्वारा प्रकाशित दिसम्बर 2003